"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—आश्विन 21, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 2-4/2017/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आशीष कुमार भट्ट (भा.व.से.-1988), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ उन्हें सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा आयुक्त सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री आशीष कुमार भट्ट द्वारा सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, तथा आयुक्त सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अनिल कुमार साहू (भा.व.से.-1990), सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा आयुक्त सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रभार से मुक्त होंगे. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्रमांक 1517/LV-14-65-2017-March/1-8/स्था.—श्री आर. के. राठौर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का दिनांक 01-05-2017 से 09-05-2017 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. राठौर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. के. राठौर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राठौर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्रमांक 2607/153/2017/1-8/स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा), मुख्यमंत्री सचिवालय आदेश दिनांक 03-08-2017 द्वारा दिनांक 22-09-2017 से 29-09-2017 तक आपको Rod Laver Cup टेनिस प्रतियोगिता में Observer के रूप में (Austria) विदेश जाने की अनुमति प्रदान की गई है. आपके द्वारा दिनांक 18-08-2017 को दी गई सूचना के आधार पर उक्त विदेश यात्रा एवं उक्त अवधि का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्रमांक 2715/153/2017/1-8/स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (संविदा) मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 05-10-2017 से 17-10-2017 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिसोदिया आगामी आदेश तक कर्तव्यस्थ अधिकारी, (संविदा) मुख्यमंत्री सचिवालय में पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिसोदिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 20-72/2011/11/(6).—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को जारी अधिसूचना के सरल क्र. 3 उद्योग संचालनालय की क्रमांक 6 के पश्चात् नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाऐं, प्रदान करने

के लिये निश्चित की गई समय–सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी का पदनाम एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, जोड़ते हुए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने (आवेदन निराकरण) की समय–सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	उद्योग संचालनालय	स्टाम्प शुल्क से छूट	21 दिवस	संचालक उद्योग/ उद्योग आयुक्त	विशेष सचिव/ प्रभारी सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
8	—तदैव—	पंजीयन शुल्क पर छूट	21 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
9	—तदैव—	नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट बाबत् अनुशंसा.	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
10	—तदैव—	प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति.	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
11.	—तदैव—	मंडी शुल्क की स्वीकृति	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
12.	—तदैव—	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति.	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
13.	—तदैव—	प्राथमिकता उद्योग प्रमाण पत्र	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
14.	—तदैव—	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति.	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
15.	—तदैव—	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति.	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
16.	उद्योग संचालनालय/ छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्ह. कार्पोरेशन लि.	छ.ग. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाएं में अनुदान का वितरण.				
		अ. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/ स्थापना/आधुनिकीकरण.	90 दिवस	अपर संचालक, उद्योग संचालक/ कार्यपालन संचालक, सीएसआईडीसी	—तदैव—	—तदैव—
		ब. उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन (शीतश्रंखला) हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास.	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		स. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना.	90 दिवस	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय/ कार्यपालक संचालक, सीएसआईडीसी	विशेष सचिव/ प्रभारी सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
		द. रीफर वाहन योजना	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 20-72/2011/11/(6).—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को जारी अधिसूचना के सरल क्र. 6 वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छ.ग. की क्रमांक 6 के पश्चात् नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी का पदनाम एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, जोड़ते हुए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम (2)	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है (3)	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) (4)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद) (5)	सक्षम प्राधिकारी (6)	अपीलीय अधिकारी (7)
7	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	बॉयलर विनिर्माता (मेनुफैक्चरर) के रूप में अनुमोदन जारी करना.	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	संचालक, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.
8.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	बॉयलर विनिर्माता (मेनुफैक्चरर) के रूप में अनुमोदन का नवीनीकरण करना.	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	संचालक, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.
9.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	बॉयलर संस्थापनकर्ता (इरेक्टर)/दुरूस्तीकर्ता (रिपेयरर) के रूप में अनुमोदन जारी करना.	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	संचालक, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.
10.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	बॉयलर संस्थापनकर्ता (इरेक्टर)/दुरूस्तीकर्ता (रिपेयरर) के रूप में अनुमोदन का नवीनीकरण करना.	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	संचालक, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 20–72/2011/11/(6).—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को जारी अधिसूचना के सरल क्र. 1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की क्रमांक 10 के पश्चात् नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय–सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी का पदनाम एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, जोड़ते हुए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने (आवेदन निराकरण) की समय–सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	स्टाम्प शुल्क से छूट	15 दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक.	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
12	—तदैव—	भू–डायवर्सन शुल्क में छूट हेतु अनुशंसा.	21 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
13	—तदैव—	नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट बाबत् अनुशंसा.	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
14.	—तदैव—	प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति.	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
15.	—तदैव—	मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
16.	—तदैव—	ब्याज अनुदान स्वीकृति	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
17.	—तदैव—	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति.	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
18.	—तदैव—	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति.	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
19.	—तदैव—	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान स्वीकृति.	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
20.	—तदैव—	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति.	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
21.	—तदैव—	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति.	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
22.	—तदैव—	विकलांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान स्वीकृति.	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
23	—तदैव—	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान स्वीकृति.	30 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
24	—तदैव—	मंडी शुल्क छूट की स्वीकृति	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
25.	—तदैव—	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति.	90 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति.	90 दिवस	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक.	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
27	—तदैव—	पंजीयन शुल्क पर छूट	21 दिवस	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
28	—तदैव—	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान का वितरण.	6 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
29	—तदैव—	मार्जिन मनी अनुदान का वितरण	12 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
30	—तदैव—	ब्याज अनुदान का वितरण	12 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
31	—तदैव—	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का वितरण.	12 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
32	—तदैव—	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का वितरण.	6 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
33	—तदैव—	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का वितरण.	6 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
34	—तदैव—	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान का वितरण.	2 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
35	—तदैव—	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान का वितरण.	2 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
36	—तदैव—	विकलांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान का वितरण.	2 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
37	—तदैव—	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान का वितरण.	2 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
38	—तदैव—	पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता अनुदान का वितरण.	18 माह	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
39	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्ह. कार्पोरेशन लि./ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	छ.ग. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाएं में अनुदान का वितरण				
		अ. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी/उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण.	12 माह	कार्यपालक संचालक, सीएसआईडीसी	प्रबंध संचालक, सीएसआईडसी/	प्रभारी सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
		ब. उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन (शीतश्रंखला) हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास.	12 माह	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	जिला कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		स. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना.	12 माह			
		द. रीफर वाहन योजना	12 माह			

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 20-87/2012/11/(6).—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-12-2012 द्वारा जारी "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु विशेष पैकेज के क्रियान्वयत हेतु राज्य की "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012" में कंडिका "9 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को निवेश प्रोत्साहन" में कंडिका 9.5 के पश्चात कंडिका 9.6 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

9.6 राज्य के किसी ग्राम में रु. 25 हजार से रु. 25 लाख तक की प्लांट एवं मशीनरी में निवेश वाले फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के परिशिष्ट-2 में वर्णित पैकेज की पात्रतानुसार सुविधायें, छूट एवं अनुदान दिया जायेगा.

(दो) राज्य की "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" में कंडिका 9, "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन" में कंडिका 9.7 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

9.7 राज्य के किसी संभाग में रु. 500 करोड़ अथवा अधिक स्थायी लागत वाली प्रथम खाद्य प्रसंस्करण इकाई को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के परिशिष्ट-तीन अनुसार वर्णित सुविधायें, छूट एवं अनुदान पात्रतानुसार दिया जायेगा.

(तीन) उक्त परिशिष्ट-दो एवं परिशिष्ट-तीन निम्नानुसार है :—

परिशिष्ट-दो

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु विशेष पैकेज

1. यह विशेष पैकेज, छ.ग. राज्य के ग्रामों (जनसंख्या सर्वेक्षण 2011 के अनुसार) में स्थापित होने वाले (चाहे वह औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में हो अथवा औद्योगिक क्षेत्रों से पिछड़े क्षेत्रों में हो, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट 7 एवं 8 में परिभाषित है) केवल फल एवं सब्जी परिरक्षण/प्रसंस्करण करने वाले नवीन उद्योगों जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में रु. 25 हजार से 25 लाख तक पूंजी निवेश हो, के लिये लागू होगा. इससे अधिक लागत वाली इकाईयों को औद्योगिक नीति 2014-19/कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012/छ.ग. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार मिलेगा.

2. यह विशेष पैकेज कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 की अवधि अर्थात 31-10-2019 तक लागू होगा.

3. इस विशेष पैकेज का लाभ लेने हेतु उद्यमी को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के अंतर्गत जारी अन्य नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.

4. इस पैकेज में वर्णित अनुदान एवं सुविधाओं का लाभ इनके लिए पूर्व में जारी अधिसूचनाओं एवं प्रक्रिया के अनुसार ही होगा तथा आवश्यक होने पर परिभाषाएं/नियम जारी किये जायेंगे.

5. इस पैकेज में उल्लेखित अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त उद्यमी को औद्योगिक नीति 2014-19, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में वर्णित अन्य अनुदान एवं छूट हेतु अधिसूचित नियमों में उल्लेखित पात्रता अनुसार (उद्यमी द्वारा चयनित कोई भी एक) प्राप्त होंगे.

6. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु पैकेज की सुविधायें एंव अनुदान

(i) **ब्याज अनुदान :—**

पात्र उद्योगों को सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान देय होगा :—

(अ) **सामान्य वर्ग के लिए :—**

क्र.	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1.	रु. 25 हजार से-25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 05 लाख वार्षिक.

(ब) **अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए :—**

क्र.	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1.	रु. 25 हजार से–25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 10 लाख वार्षिक.

(ii) **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :—**
पात्र उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जायेगा :—

(अ) **सामान्य वर्ग के लिए :—**

क्र.	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1.	रु. 25 हजार से–10 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 40% अधिकतम सीमा 05 लाख.
	रु. 10 लाख से–25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 50% अधिकतम सीमा 12.5 लाख.

(ब) **अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए :—**

क्र.	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1.	रु. 25 हजार से–25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 60% अधिकतम सीमा 15 लाख.

(iii) **विद्युत शुल्क छूट :—**
राज्य की नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सभी संवर्ग के नवीन पात्रताधारित उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से स्वयं की बिजली की खपत की गई यूनिटों पर 10 वर्ष तक देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी.

(iv) **भूमि उपयोग में परिवर्तन :—**
निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 15 हजार फुट भूमि (परिवार में केवल एक खातेदार के लिए) भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी.

टीप :— उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ–साथ आद्यौगिक नीति 2014–19 के अनुदान, छूट एवं रियायतों के तहत् स्टॉम्प शुल्क में छूट, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के भू–आवंटन पर भू–प्रीमियम में छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान व प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान तथा निशक्त अनुदान पात्रता अनुसार होंगे.

परिशिष्ट–तीन

प्रदेश के किसी संभाग में रु. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पाद (NTFP) प्रसंस्करण परियोजना के लिए विशेष पैकेज

(1) इस पैकेज का लाभ लेने के लिये औद्योगिक नीति 2014–19 तथा राज्य की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी.

(2) इस पैकेज का लाभ लेने पर संबंधित परियोजना को भारत सरकार एवं राज्य शासन के किसी अन्य विभाग से समान सुविधा तथा समान प्रकृति के लाभ प्राप्त नहीं होंगे.

(3) इस पैकेज के तहत पात्र संस्थान को इस पैकेज के अनुसार ही अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई. निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो.

(4) स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु प्रथम प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से 36 माह की अवधि के भीतर परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्टांप शुल्क से छूट प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा. ऐसी स्थिति में स्टांप शुल्क में छूट से प्राप्त लाभ की राशि निवेशक द्वारा स्टांप शुल्क से छूट प्रमाण-पत्र हेतु जारी नियमानुसार ब्याज के साथ शासन को देय होगी.

(5) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012, वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 तक लागू है. इस विशेष पैकेज का लाभ लेने हेतु 31 अक्टूबर 2019 तक पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक होगा. इस संबंध में अधिसूचना जारी की जायेगी.

(6) वर्तमान में प्रभावी औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में वर्गीकृत है. इस पैकेज हेतु कोई वर्गीकरण नहीं होगा.

(7) रु. 500 करोड़ से अधिक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में प्रारंभ होने वाले उत्पादों के इस विशेष पैकेज पर औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट दो-"संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)" तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के परिशिष्ट एक-"अपात्र उद्योगों की सूची" प्रभावशील रहेगी किन्तु संतृप्त श्रेणी (अपात्र उद्योग) का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश कर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी.

(8) इस विशेष पैकेज का लाभ संबंधित परियोजनाओं को देने के लिये पैकेज के राजपत्र में जारी होने के दिनांक से 03 माह के भीतर अधिसूचनाएँ जारी की जायेगी, नियम बनाये जायेंगे तथा संगत कानूनों के अंतर्गत प्रशासकीय निर्देश भी जारी किये जायेंगे एवं आवश्यक होने पर परिभाषाएं भी जारी की जावेगी.

(9) इस पैकेज में निम्नांकित छूट एंव अनुदान पात्रतानुसार दिये जायेंगे :—

1. लैण्ड बैंक में भूमि आवंटित किये जाने पर प्रब्याजि में 75 प्रतिशत की छूट दी जावेगी, लीज रेंट तथा अन्य देय शुल्कों में कोई छूट नहीं दी जायेगी. इसके लिये प्रब्याजि की गणना सांकेतिक रूप से की जायेगी.

2. भूमि आवंटन पर स्टाम्प ड्यूटी से 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी. यह छूट प्रथम स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 36 माह में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर मान्य होगी.

3. परियोजना के लिये बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण पर प्रथम 3 वर्षों के लिए स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट.

4. औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आवंटन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. को 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज देय होगा.

5. स्थायी पूंजी निवेश की राज्य शासन को देय GST के रूप में प्रतिपूर्ति के संदर्भ में पृथक से नीतिगत निर्णय लिया जायेगा.

6. परियोजना हेतु अधिसूचित बैंकों से, लिये जाने वाले सावधि ऋण (परियोजना के लिये आवश्यक स्थायी पूंजी निवेश का 80 प्रतिशत सीमा तक) पर 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत ब्याज (कुल स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत की सीमा तक) की प्रतिपूर्ति.

7. पात्रताधारित सभी संवर्ग के उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 15 वर्ष तक स्वयं खपत की गई बिजली की यूनिटों पर देय विद्युत शुल्क भुगतान से 100 प्रतिशत की छूट रहेगी. लेकिन संस्थान द्वारा विद्युत शुल्क में छूट हेतु उद्योग संचालनालय से अनुशंसित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के 06 माह की समय-सीमा में प्रस्तुत करना होगा.

8. प्रदेश के किसी संभाग में रु. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पाद (NTFP) प्रसंस्करण परियोजना को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्त्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 15 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क के पूर्ण (100 प्रतिशत) छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी.

9. परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 3 वर्ष तक भूमि भवन, प्लांट मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति में होने वाले निवेश को स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत मान्य किया जायेगा.

10. परियोजना में संलग्न छत्तीसगढ़ के स्थानीय तकनीकी एवं कुशल कामगारों के कौशल विकास हेतु, परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम 500 कामगारों के प्रथम 12 माह के देय ईपीएफ बराबर की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में निवेशक को प्रत्येक माह दी जायेगी.

11. उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ-साथ परियोजना को औद्योगिक नीति 2014-19 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन में वर्णित अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अधिसूचित नियमों में उल्लेखित पात्रता अनुसार, समान स्वरूप का अनुदान होने की दशा में उद्यमी द्वारा चयनित कोई भी एक ही अनुदान, भी प्राप्त होंगे.

(चार) उक्त दोनों प्रस्तावित पैकेज के संदर्भ में नियम निर्देश जारी करने तथा आवश्कतानुसार संशोधन करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अधिकार होगा.

ये संशोधन अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 20-47/2013/ग्यारह/(छै).—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय-4 विविध परिशिष्ट के परिशिष्ट-1 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, भवन-शेड, प्रकोष्ठ की भूमि की प्रब्याजी, भू-भाटक, संधारण शुल्क की दरें में 2 सहायक (अनुषांगिक) प्रयोजन हेतु (स) उद्योगों हेतु सहयोगी सेवा व्यापार के लिये पट्टा प्रब्याजि, भू-भाटक, संधारण शुल्क इत्यादि की दरों की सारणी में अनुक्रमांक-7 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाये—

क्रमांक	गतिविधि का नाम	भूमि/भवन/प्रकोष्ठ आवंटन की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार अनुसार)	अवयव	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	7-राज्य शासन के किसी विभाग/संचालनालय अथवा उसके निगम के द्वारा संचालित भोजनालय हेतु भूमि/भवन/प्रकोष्ठ (अधिकतम कोई सीमा नहीं).	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	भूमि की प्रब्याजि	नि:शुल्क
			भवन हेतु मासिक किराया	नि:शुल्क
			भू-भाटक (प्रतिवर्ष)	नि:शुल्क
			प्रतिभूति	नि:शुल्क
			संधारण शुल्क (प्रतिवर्ष देय)	नि:शुल्क
			विकास शुल्क (एक बार देय)	नि:शुल्क

ये संशोधन दिनांक 06-05-2017 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्रमांक/एफ 8-1/2012/11/(6).—बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एनएसपीसीएल, भिलाई के बायलर क्रमांक सीजी/343 यूनिट-2 को दिनांक 12-09-2017 से 31-10-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर अथवा बायलर कंपोनेट में होने वाली किसी भी दुर्घटना की सूचना बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल निरीक्षक वाष्पयंत्र/मुख्यनिरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर, पाइप लाइन तथा बायलर कंपोनेट में किसी प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385 क की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 04-02/2017/23.—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का सं. 7) की धारा 3 एवं 4 सहपठित सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची—एक के अनुसार सांख्यिकी सर्वेक्षण, जो इसमें इसके पश्चात् उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण के रूप में निर्दिष्ट है, के माध्यम से सेवा क्षेत्र स्थापना एवं संबंधित कार्यकलापों पर आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देती है एवं भौगोलिक इकाईयों के संबंध में नीचे उल्लिखित अनुसूची—दो के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त करती है :—

अनुसूची—एक

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन—** उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से, संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, संरचना और ढॉचे से संबंधित आंकडे, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया, मरम्मत सेवाएं, गैस तथा जल आपूर्ति और शीत भंडारण से संबंधित कार्यकलाप समाविष्ट है, एकत्र किये जायेंगे.

2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र—** उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ राज्य में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का सं. 7) के अधीन राज्य क्षेत्र के लिये चयनित प्रतिदर्श इकाई के संबंध में किया जा रहा है.

3. **आंकड़े संग्रहण की पद्धति—** प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को नोटिस जारी किया जायेगा जिसमें, जिस आंकड़े के लिये, जिस अधिकारी अथवा कार्यालय को, जिस इकाई अथवा इकाईयों के लिये और प्रपत्र जिसमें, सूचना देना अपेक्षित है, की जानकारी उपदर्शित होगी. सांख्यिकी अधिकारी, ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि उसके द्वारा सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, सूचनादाता को इलेक्ट्रानिक प्ररूप में विहित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है.

4. **सूचनादाताओं की प्रकृति जिनसे आंकड़े एकत्र किये जायेंगे—**

(एक) इकाई (कोई फैक्ट्री या बिजली अथवा गैस या जल आपूर्ति उपक्रम अथवा बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का सं. 32) के अधीन पंजीकृत स्थापन) का मालिक अथवा अधिभोगी, जिसे इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी की जायेगी.

(दो) सांख्यिकी अधिकारी, वैयक्तिक इकाइयों के लिये अलग—अलग सूचना उपलब्ध न होने की दशा में, एकल प्रबंधन के अधीन दो अथवा अधिक इकाईयों के संबंध में मालिक अथवा अधिभोगी से, ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि नोटिस में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, समेकित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा.

5. **अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण कार्य किये जा सकेंगे—** सूचना में, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जायेगा और यह सामान्यतः अक्टूबर, 2016 एवं जून, 2017 के बीच की कालावधि के लिये होगी.

6. **संदर्भ कालावधि—** 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई का लेखांकन वर्ष, जो 1 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2015 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के लिये सूचना उपलब्ध कराना अपेक्षित है.

7. **एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति—** भाग—एक के अनुसार अपेक्षित सूचना, आस्तियों एवं दायित्वों, रोजगार तथा श्रमिक लागत, प्राप्तियां, व्यय, इनपुट मदें (देशीय और आयातित), उत्पाद तथा उप—उत्पाद, वितरण व्यय इत्यादि से संबंधित हैं.

8. **भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है—** सूचनादाता, या तो हिंदी या अंग्रेजी में विहित प्रारुप में सूचना उपलब्ध करायेगा.

9. **सूचनादाता की बाध्यता—** किसी इकाई का मालिक अथवा अधिभोगी, सूचना उसी रीति में और उस तारीख तक प्रस्तुत करेगा, जैसा की संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित किया गया हो. उसे निरीक्षण हेतु सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे तथा सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा चाही गई सूचना, जैसा कि अपेक्षित किया जाये, के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे.

10. **कारोबार के अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों की प्रकृति, जिनका निरीक्षण किया जा सकता है—** किसी इकाई के कारोबार के अभिलेखों, जैसे कि तुलनपत्र, लाभ तथा हानि खाते, मस्टर रोल, हाजिरी रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, पे—रोल, निदेशक की रिपोर्ट अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना के समर्थन में किसी भी अन्य वैधानिक दस्तावेज का, सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा.

11. **निरीक्षण का तरीका—** संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई के कारोबार के अभिलेख और अन्य अभिलेखों के आधार पर इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना का सत्यापन कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा अधिभोगी या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है.

अनुसूची–दो

स. क्र.	सांख्यिकी अधिकारी	भौगोलिक अधिकार क्षेत्र (राज्य / संघक्षेत्र)	पता
1	सहायक संचालक, एएसआई, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	छत्तीसगढ़	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, ब्लॉक–बी, भू–तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़–492002.

टीप :– 1. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, स्थापना के कारोबार के अभिलेख एवं अन्य अभिलेख के आधार पर, किसी भी स्थापना द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर सकेगा तथा संबंधित मालिक या अधिभोगी या स्थापना के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा.

2. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2014–15 के संबंध में, सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई, भाग–एक में संग्रहित सांख्यिकी (आंकड़े), सम्यक् सत्यापन और जांच के पश्चात्, उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी अधिकारी (औद्योगिक सांख्यिकी शाखा), कोलकाता के कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा, तैयार की जायेगी.

3. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2014–15 से संबंधित किसी कार्यकलाप में संलग्न सभी व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का सं. 7) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अधीन प्रावधानों द्वारा शासित होंगे.

No. F 04-02/2017/23.— In exercise of the power conferred by Sections 3 and Section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009) read with Rule 5 and Rule 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the State Government, hereby, directs collection of statistics on service sector establishment and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as the Annual Survey of Industries, as per schedule-I, and appoints Statistics Officer in respect of the geographical units as per schedule-II, mentioned below :—

SCHEDULE – I

1. **Subject and purpose for collection of statistics—** Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage shall be collected through Annual Survey of Industries.

2. **Geographical area for collection of statistics—** The Annual Survey of Industries is being conducted in the State of Chhattisgarh with respect to sample units selected for State Sector under the Collection of Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009).

3. **Method of data collection—** A notice will be issued by each Statistics Officer to the informant under his jurisdiction indicating therein, the data for which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions as may be specified by him in the notice.

4. **Nature of informants from whom data may be collected—**

   (i) The owner or occupier of a unit [factory or an electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (No. 32 of 1966)], to whom notice would be issued by a Statistics Officer to furnish information about the unit.

   (ii) A Statistics Officer may require owner or occupier to furnish consolidated information, in respect of two or more units under a single management, in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions as may be specified by him in the notice.

5. **Period during which collection of statistics may be completed—** The date for submission of information by each informant shall be mentioned in the notice and generally fall during October, 2016 to June 2017.

6. **Reference Period—**Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2015 and ending on 31st March 2016 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April 2015 and on 31st March 2015.

7. **Nature of Information to be collected—** The Information required as Part-I relates to assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items (indigenous and imported), products and by-products, distributive expenses etc.

8. **Language in which information is to be furnished by informant—** An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English.

9. **Obligation of informant—** A owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

10. **Nature of business records and other records which may be inspected—** Business records of a unit such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

11. **The manner of inspection—** The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

SCHEDULE – II

S. No.	Statistics Officer	Geographical Jurisdiction (State/ UT)	Address
1	Assistant Director, ASI, Directorate of Economic and Statistics, Chhattisgarh, Raipur.	Chhattisgarh	Directorate of Economic and Statistics, Block-B, Ground Floor, Indravati Bhawan, Naya Raipur - 492 002.

Note :— 1. The concerned Statistic Officer or a person authorised by him may verify information furnished by an establishment on the basis of business records and other records of the establishment and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorised by the management of the establishment.

2. The statistics collected in part-I, in respect of the Annual Survey of Industries 2014-15, furnished by the informants, after due verification and scrutiny shall be processed by officials working at the Office of the Deputy Director General, Central Statistics Officer (Industrial Statistics Wing), Kolkata.

3. All the persons engaged in any activity in respect of the Annual Survey of Industries 2014-15 shall be governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक/11058/क/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	भैंसमा	कुदुरमाल	1.570 हेक्ट.	कुदुरमाल एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 13-09-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — कुदुरमाल एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 06
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — 3179.12 लाख
9. परियोजना से होने वाले लाभ — निस्तारी, भू-जल संवर्धन एवं औद्योगिक प्रयोजन
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 1512223 दिनांक 17-03-2017 के माध्यम से जमा किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक/11062/क/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोरबा	कोरबा	कोथारी	0.287 हेक्ट.	मुकुन्दपुर एनीकट योजना के तहत बांध लाईन निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 15-09-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मुकुन्दपुर एनीकट योजना के तहत बांध लाईन निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	368.91 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	ग्राम मुकुन्दपुर, कोथारी, नवापारा, रोगदा के लगभग 144 कृषक.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 1512222 दिनांक 17-03-2017 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्रमांक 8400/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	नगरी	करैया	0.46 हेक्टेयर	करैहा व्यपवर्तन निर्माण हेतु भू-अर्जन, प्रभावित ग्राम-करैहा प्रभावित खसरा क्रमांक 153/1,153/2, 153/3, 155/4, 156.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 13-09-2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-करैहा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	करैहा व्यपवर्तन निर्माण हेतु भू-अर्जन, प्रभावित ग्राम-करैहा, प्रभावित खसरा क्रमांक 153/1, 153/2, 153/3, 155/4, 156.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	05
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 277.42 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील नगरी के ग्राम करैहा में 150 हेक्टेयर रकबा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक/2226/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. 07/अ-82/2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	मारंगपुरी	3.074 हेक्टेयर	मारंगपुरी व्यपवर्तन योजना सिंचाई हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-08-2017 को समय 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत मारंगपुरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मारंगपुरी व्यपवर्तन योजना सिंचाई हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	39
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां 3.074 हेक्टेयर
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	5 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	140 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई होगी
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5 लाख
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
समीर विश्नोई, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक 03/अ-82/2015-16/12767.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	खोखसा प.ह.नं. 48	0.052	कार्यालय अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर कि.मी. 672/11-18 पर खोखसा लेवल क्रासिंग में बिलासपुर रायगढ़ के मध्य रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक/12276/2/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरहाभांठा, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.668 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
320/2	0.008
322/1	0.085
322/2	0.105

	(1)	(2)
	323	0.036
	324/2	0.081
	272/1	0.024
	272/2	0.041
	273/1	0.020
	269/1, 270/2	0.041
	268/1	0.049
	267/1	0.057
	264/1	0.121
योग	12	0.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलीपाली माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक/12278/2/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-पलसदा, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.576 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	370/3	0.093
	326/5	0.133
	370/4	0.077
	328/5	0.073
	416	0.036
	328/3	0.065
	418/2	0.101
	417/2	0.073
	420/2	0.081
	433/1, 594	0.061
	433/2	0.077
	332	0.036
	426	0.016
	369	0.036
	327/1	0.053
	368/1	0.105
	330/1	0.081
	333, 334, 335, 595	0.089
	329/2	0.032
	329/1	0.012
	434, 435	0.004
	370/2	0.036
	370/1	0.045
	328/2	0.108
	432	0.041
	328/4	0.012
योग	26	1.576

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलीपाली माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 19 सितंबर 2017

क्रमांक 3346/स्था./छ.ग.प.सं.मं./2017.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, (1974 की संख्या 6) की धारा 12 की उपधारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 1 (ग) प्रशासनिक एवं लेखा सेवाएं के बिन्दु क्रमांक 4 वरिष्ठ लेखापाल/कार्यालय अधीक्षक (भविष्य में पदोन्नति के लिये) के कॉलम नम्बर 3 पदों की संख्या में 3 के स्थान पर 6 प्रतिस्थापित किया जाता है. इसी प्रकार अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 1 (ग) प्रशासनिक एवं लेखा सेवाएं के बिन्दु क्रमांक 3 वरिष्ठ लेखापाल/कार्यालय अधीक्षक (भविष्य में पदोन्नति के लिये) के कॉलम नम्बर 3 पदों की संख्या में 3 के स्थान पर 6 प्रतिस्थापित किया जाता है.

देवेन्द्र सिंह,
सदस्य सचिव.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/4567.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भार.अधि./2016-17/5968-5969 दिनांक 30-12-2016 द्वारा सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रा रोड जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्र./वित्त-1/2017/4987 दिनांक 11-09-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रारोड में श्री नूतन कंवर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री नूतन कंवर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पेण्ड्रारोड जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/4890.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भा.अधि./2014-15/6387-6388, दिनांक 13-02-2015 द्वारा श्री एम.डी. मानकर उप संचालक कृषि बलौदाबाजार को कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र क्रमांक 2137/वित्त/2017 बलौदाबाजार दिनांक 01-09-2017 द्वारा श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी, अपर कलेक्टर बलौदाबाजार को कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एम.डी. मानकर, उप संचालक कृषि बलौदाबाजार के स्थान पर, श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी, अपर कलेक्टर बलौदाबाजार को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बलौदाबाजार जिला-बलौदाबजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (नगर भूमि सीमा शाखा) रायपुर छ.ग.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्रमांक 74/रीडर/न.भू.सी./2017/रायपुर.—सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्र. F-6-62/2008/सात-3/रायपुर, दिनांक 03-09-2009 में दिए गए निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्री पदुम सिंह एल्मा (भा.प्र.से.) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

ओ. पी. चौधरी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd September 2017

No. 1065/Confdl./2017/II-3-14/2000 (Pt.-II).—On the basis of application dated 15-09-2017 of Shri Gautam Chouradia, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, the spelling of his name is corrected as “Gautam Chourdiya” in place of “Gautam Chouradia”. It is directed that necessary changes be affected in all his records.

By the order of Hon’ble the Chief Justice,
RAJNI DUBEY, Registrar (Vigilance).